

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :- 102/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- धनसिंह बनाम दीपचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
15/7/19	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई । उभयपक्ष को सुना गया । पत्रावली पर विद्वान वकील रेस्प0 संख्या 01 ने तहत न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 345/16 में पारित निर्णय दिनांक 24.5.18 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि उक्त वाद में तकासमा की अंतिम डिक्री पारित की गई है ।</p> <p>प्रस्तुत अपील तहत न्यायालय द्वारा धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय 29.6.2017 के खिलाफ है ।</p> <p>चूंकि जब तहत न्यायालय द्वारा मूल वाद का ही निस्तारण कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय के खिलाफ पेश की गई यह अपील इन्फैक्चस (प्रभावहीन) हो चुकी है ।</p> <p>अतः अपील अपीलांट प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।</p> <p>भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>